बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों और अन्य सम्पत्तियों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980

(1980 का अधिनियम संख्यांक 67)

[27 दिसम्बर, 1980]

देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल का निरन्तर उत्पादन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का, और विनिर्दिष्ट कम्पनियों में बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा धारित शेयरों के इस प्रयोजन के लिए अर्जन का कि उन उपक्रमों के प्रचालन और कृत्यशील रहने की बाबत, उन उपक्रमों को वे सुविधाएं और फायदे प्राप्त हो जाएं जो ऐसे शेयरों के धारण करने के कारण व्युत्पन्न होते हैं, और विनिर्दिष्ट कम्पनियों के कार्यकलाप पर ऐसा नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने का भी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन कम्पनियों के कार्यकलाप का कुप्रबन्ध न हो, और उनसे संबंधित तथा उनके आनुषंगिक विषयों का, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड ई० ओ० टी० क्रेनों और किस्मों की क्रेनों ; पोलियस्टरीन आधारित धनायन विनिमय रेजिन ; उर्वरकों, तेल परिष्करणियों, इस्पात संयंत्रों, पेट्रोरसायन और अन्य उद्योगों के लिए उपस्कर ; विभिन्न प्रकारों और आकारों की टंकियों और वाहिकाओं ; जल अभिक्रियण उपस्कर और जल-प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अन्य प्रकारों के उपस्कर के विनिर्माण में लगी हुई तथा अन्य विभिन्न क्रियाकलाप में भी लगी हुई थी ;

और बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धमंडल ने उस कम्पनी के कार्यकलाप का इस प्रकार कुप्रबन्ध किया है कि कम्पनी को भारी हानि हुई है और कम्पनी के कार्यकलाप का प्रबन्ध भी ऐसी रीति से किया है कि कम्पनी के हितों पर तथा लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

और पूर्वोक्त कुप्रबन्ध के कारण, केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 408 के उपबन्धों के अनुसरण में बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में छह निदेशक नियुक्त किए थे ;

और कम्पनी के उपक्रमों के उत्पादन को बनाए रखने और उसके विकास के लिए एक बड़ी रकम का विनिधान आवश्यक है ;

और ऐसा विनिधान कराने में केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल या वस्तुओं का कम्पनी के उपक्रमों द्वारा विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रखकर जनसाधारण का हित-साधन हो, लोक हित में यह आवश्यक है कि बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन कर लिया जाए ;

और बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड उन विनिर्दिष्ट कम्पनियों में शेयरधारक है जो या तो देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल के उत्पादन, वितरण या विपणन में लगी हुई हैं या ऐसी अन्य कम्पनियों के वित्तपोषण में लगी हुई हैं जो ऐसे उत्पादन, वितरण या विपणन में लगी हुई हैं, और लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त शेयरों का अर्जन कर लिया जाए ताकि कम्पनी के उपक्रमों को उनके प्रचालन और कृत्यशील रहने की बाबत वे सुविधाएं और फायदे प्राप्त हो जाएं जो ऐसे शेयरों के धारण करने के कारण व्युत्पन्न होते हैं और केन्द्रीय सरकार उन कम्पनियों के कार्यकलाप पर, ऐसे शेयर धारण करने के कारण ऐसा नियंत्रण भी रख सके जो उक्त उपक्रमों के कुप्रबन्ध को रोकने के लिए आवश्यक हो ;

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों और अन्य सम्पत्तियों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 है ।

(2) यह 25 अक्तूबर, 1980 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 25 अक्तूबर, 1980 अभिप्रेत है ;

(ख) "आयुक्त" से धारा 13 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "कम्पनी" से बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय— चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग्स, कलकत्ता-700001, पश्चिमी बंगाल राज्य में है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "शेयर" से किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी की पूंजी में कम्पनी द्वारा धारित कोई साधारण या अधिमानी शेयर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा शेयर भी है जिसे कम्पनी ने किसी बैंक या किसी अन्य लेनदार के पास गिरवी किया है ;

(छ) "विनिर्दिष्ट कम्पनी" से पहली अनूसूची में विनिर्दिष्ट कम्पनी अभिप्रेत है ;

(ज) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की सकेंगी ;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उनके क्रमश: उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कम्पनी के उपक्रमों का और विनिर्दिष्ट कम्पनियों में कम्पनी द्वारा धारित शेयरों का अर्जन और अन्तरण

3. कम्पनी के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण और उसमें निहित होना—नियत दिन को, कम्पनी के उपक्रम और उसके उपक्रमों के संबंध में कम्पनी का अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट कम्पनियों में धारित शेयरों का अन्तरण और निहित होना—(1) नियत दिन को, विनिर्दिष्ट कम्पनियों में कम्पनी द्वारा धारित सभी शेयर, इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(2) नियत दिन से ही, यह समझा जाएगा कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक शेयर की, जो उपधारा (1) के उपबन्धों के आधार पर उसे अन्तरित और उसमें निहित हो गया है, धारक के रूप में, संबंधित विनिर्दिष्ट कम्पनी के सदस्य-रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो गई है ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्धों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालते हैं, अर्थात् :—

(क) किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी का, कम्पनी से कोई धनराशि इस आधार पर वसूल करने का कोई अधिकार कि कम्पनी ने, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्पूर्ण मूल्य का या उसके किसी भाग का संदाय ऐसी विनिर्दिष्ट कम्पनी को नहीं किया है या उसके नाम जमा नहीं किया है, या किसी भी अन्य आधार पर कोई ऐसा अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व अस्तित्वशील है ;

(ख) किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी का, कम्पनी से प्राप्य कोई भुगतान प्राप्त करने का कंपनी के विरुद्ध कोई ऐसा अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व अस्तित्वशील है ।

5. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कम्पनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम संपत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमियां, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, आरक्षित निधियां, विनिधान, बही-ऋण और ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्‌भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे, और तत्संबंधी किसी भी प्रकार की सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी सम्पत्तियां, जो धारा 3 या धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर, किसी भी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश की बाबत, जो ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करता है, या जो ऐसी समस्त सम्पत्तियों या उनके किसी भाग की बाबत कोई रिसीवर नियुक्त करता है, यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) किसी ऐसी सम्पत्ति का ,जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ,प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में कोई भार ,धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ,ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से ,जो विहित की जाए ,ऐसे बन्धक ,भार ,धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार या ऐसी किसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार ,धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकमों में से बंधक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत :या भागत :संदाय के लिए अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा, किन्तु ऐसा कोई बन्धक ,भार ,धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) यदि ऐसे उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, नियत दिन से पूर्व किसी समय अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत जो उस दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त है, तो ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजनों के लिए, ऐसे दिन को और उसके पश्चात् अपने प्रकट शब्दानुसार प्रवृत्त बनी रहेगी और ऐसे उपक्रम के धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने की तारीख से ही, उस सरकारी कम्पनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में उसी प्रकार प्रतिस्थापित हो गई है मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत ऐसी सरकारी कम्पनी को अनुदत्त की गई थी और ऐसी सरकारी कम्पनी उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए वह कम्पनी उसे उसके निबन्धनों के अनुसार धारण करती ।

(6) यदि नियत दिन को, किसी संपत्ति के संबंध में जो धारा 3 या धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, कम्पनी द्वारा संस्थित या उसके विरुद्ध लाया गया कोई वाद ,अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लम्बित है तो कम्पनी के उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा ,वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ,किन्तु वह वाद ,अपील या अन्य कार्यवाही केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं वहां उस सरकारी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी ,चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

6. पूर्व दायित्वों के लिए केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी का दायी न होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कम्पनी का प्रत्येक दायित्व, कम्पनी का दायित्व होगा और उसी के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन, किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां, ऐसी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत अपने उपक्रमों के संबंध में या किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी में कम्पनी द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में कम्पनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित है वहां उस कम्पनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में या किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी में कम्पनी द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न हुए किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बारे में, नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं वहां ऐसी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए नियत दिन के पूर्व कम्पनी द्वारा उपगत कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां ऐसी कम्पनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

7. कम्पनी के उपक्रमों के किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई सरकारी कम्पनी ऐसे निबन्धनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना वह सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है तो वह अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि कम्पनी के वे उपक्रम और कम्पनी के उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसका अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय या तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख न होगी), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसका अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो जाते हैं, वहां वह सरकारी कम्पनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के संबंध में उनकी स्वामी समझी जाएगी, और ऐसे उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से ही, उस सरकारी कम्पनी के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

8. कम्पनी और विनिर्दिष्ट कम्पनियों को रकमों का संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कम्पनी के उपक्रमों और ऐसे उपक्रमों के संबंध में उसका अधिकार, हक और हित, धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरण और उसमें निहित होने के लिए, कम्पनी को दो करोड़ तिरासी लाख रुपए की संकलित रकम नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से देगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट कम्पनियों में कम्पनी द्वारा धारित शेयरों के धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरण और उसमें निहित होने के लिए, कम्पनी को सत्ताईस लाख रुपए की संकलित रकम नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से देगी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज नियत दिन से प्रारम्भ होकर उस तारीख को, जिसकी ऐसी रकम का केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(4) शकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके दायित्वों का उन्मोचन, कम्पनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कम्पनी को शोध्य रकमों में से, किया जाएगा ।

अध्याय 4

कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, आदि

9. कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, आदि—(1) कम्पनी के उन उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध,—

(क) जहां केन्द्रीय सरकार ने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, उस निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी में निहित होगा ;

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है वहां नियत दिन से ही, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक या अधिक अभिरक्षकों में निहित होगा,

और तब, यथास्थिति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी या इस प्रकार नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षक, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने के हकदार होंगे जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को करने के लिए अपने उपक्रमों के संबंध में कम्पनी प्राधिकृत है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, कम्पनी के उन उपक्रमों के लिए, जिनके संबंध में धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उसने कोई निदेश नहीं दिया है, किसी व्यक्ति या किसी सरकारी कम्पनी को अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगी ।

(3) अभिरक्षक कम्पनी की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार नियत करे और वह केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ।

10. कम्पनी के उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां, आदि परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो जाने पर या किसी अभिरक्षक की नियुक्ति हो जाने पर, ऐसे निहित होने या ऐसी नियुक्ति के ठीक पहले ऐसी कम्पनी के उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक सभी व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी सरकारी कम्पनी को या अभिरक्षक को ऐसी कम्पनी के उपक्रमों से सम्बन्धित सभी आस्तियां, लेखा बहियां, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजें, जो उनकी अभिरक्षा में हैं, परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और ऐसी सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक भी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिसमें कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध उसके द्वारा संचालित किया जाएगा या किसी अन्य ऐसे विषय के बारे में जो ऐसे प्रबन्ध के दौरान उद्भूत हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन भी कर सकेगा ।

(3) अभिरक्षक कम्पनी के उपक्रमों का लेखा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रखेगा जो विहित की जाएं और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंध इस प्रकार रखे गए लेखा की लेखापरीक्षा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी कम्पनी के लेखा की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं ।

अध्याय 5

कम्पनी के कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

11. कर्मचारियों के नियोजन का जारी रहना—(1) कम्पनी का प्रत्येक कर्मचारी, जो उसके स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम के संबंध में नियोजित है, नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी हो जाएगा और जहां ऐसा उपक्रम इस अधिनियम के अधीन किसी

सरकारी कम्पनी में निहित होता है वहां वह ऐसी सरकारी कम्पनी में निहित होने की तारीख से ही, उसका कर्मचारी हो जाएगा, और पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कम्पनी के अधीन वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे तब अनुज्ञेय होते जब ऐसा निधान न हुआ होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कम्पनी के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कम्पनी सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर देती है ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी के किसी उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी को अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और कोई दावा, कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण ग्रहण नहीं करेगा ।

12. भविष्य निधि और अन्य निधियां—(1) जहां कम्पनी ने अपने उपक्रमों में से किसी में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि स्थापित की है वहां ऐसे कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्तरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी-निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन धनराशियों के सम्बन्ध में, जो उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो गई हैं, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी ऐसी रीति से कार्रवाई करेगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

13. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन कम्पनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से भी एक या अधिक को इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे उस व्यक्ति को सीधे इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई हों, प्राधिकार के रूप में नहीं ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

14. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कम्पनी को धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकमों का संदाय करने के लिए आयुक्त को, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर नकद रकम देगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त की गई प्रत्येक रकम उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) आयुक्त कंपनी के उपक्रमों के बारे में और विनिर्दिष्ट कम्पनियों में कम्पनी द्वारा शेयरों के, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को संदाय किया गया है, अभिलेख रखेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कंपनी के फायदे के लिए काम आएगा ।

15. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी, कोई ऐसा धन, जो कंपनी या सरकारी कंपनी को शोध्य है और नियत दिन के पश्चात् वसूल किया जाता है, विनिर्दिष्ट तारीख तक, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, प्राप्त करने की हकदार इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि से सम्बन्धित है ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी ऐसे प्रत्येक संदाय के सम्बन्ध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में कम्पनी के किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उस सरकार या सरकारी कम्पनी ने नियत दिन के पश्चात् किया है ; और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को, जिसके सम्बन्ध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा किया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में कम्पनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, उस कम्पनी के दायित्व होंगे ।

16. दावों का आयुक्त के समक्ष किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावा ग्रहण कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

17. दावों की पूर्विकता—दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से उद्भूत होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग I को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता प्राप्त होगी और प्रवर्ग II को प्रवर्ग III पर अग्रता प्राप्त होगी और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और उनका पूर्णत: संदाय किया जाएगा किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णत: चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो उनमें समान अनुपात में कमी होगी और उनका तद्नुसार संदाय किया जाएगा ;

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के उन्मोचन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाए ।

18. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 16 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकता क्रम में क्रमबद्ध करेगा और ऐसे पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत दायित्वों की परीक्षा करे ।

19. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) दूसरी अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिससे पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा या जिसके न हो सकने पर उसे आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों के फायदे से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख की कम से कम चौदह दिन की सूचना, अंग्रेजी भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के ऐसे एक अंक में और ऐसी प्रादेशिक भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के ऐसे एक अंक में जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत ऐसे विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर आयुक्त के समक्ष फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक हो, और कम्पनी को दावे का खण्डन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, दावे को पूर्णत: या भागत: स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं, जहां वह अपनी बैठकें कर सकेगा, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील, उस उच्च न्यायालय में कर सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है, वहां ऐसी अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय को होगी और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

20. आयुक्त द्वारा दावेदारों को धन का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् आयुक्त ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकम शोध्य है और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर, कंपनी के ऐसे दावे की बाबत दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

21. कम्पनी को रकमों का संवितरण और कुछ मशीनरी, उपस्कर आदि पर कब्जा—(1) यदि कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में आयुक्त को संदत्त धन में से, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो आयुक्त ऐसे अतिशेष का संवितरण कम्पनी को करेगा ।

(2) जहां कोई मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो गई है किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति उस कम्पनी की नहीं है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस सरकारी कम्पनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी या उपस्कर या अन्य संपत्ति पर कब्जा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बनाए रखे, जिनके अधीन वे नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के कब्जे में थीं ।

22. असंवितरित या दावा न की गई रकम का साधारण राजस्व खाते में निक्षिप्त किया जाना—यदि आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, जिसको आयुक्त का पद अंतिम रूप से परिसमाप्त किया जाता है, असंवितरित रहता है या जिसके बारे में उस तारीख को काई दावा नहीं किया गया है, तो वह आयुक्त द्वारा अपने पद के अंतिम रूप में परिसमापन से पूर्व केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते को अन्तरित किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार अन्तरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है और उस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अन्तरण किया ही नहीं गया था और दावे के संदाय के लिए आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश माना जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

23. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

24. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में संविदाओं का प्रभावहीन हो जाना—कंपनी द्वारा अपने स्वामित्व के उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या वह सरकारी कम्पनी, जिसमें ऐसे उपक्रम इस अधिनियम के अधीन निहित हुए हैं, लिखित रूप में अनुसमर्थन नहीं कर देती और केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कम्पनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में उसमें ऐसे परिवर्तन या उपांतर कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और संविदा में कोई परिवर्तन या उपांतर तब तक नहीं करेगी जब तक कि—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या वह केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी के लिए अहितकर है ; और

(ख) वह ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही दे देती है और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपांतर करने के अपने कारण अभिलिखित नहीं कर देती है ।

25. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति को या किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी में कम्पनी द्वारा धारित किसी शेयर को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसको सदोष प्रतिधारित करेगा या किसी उपक्रम से संबंधित किसी दस्तावेज या शेयर को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, जानबूझकर केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी से या ऐसी सरकार अथवा सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से, विधारित करेगा या उनके उन्हें देने में असफल रहेगा अथवा कम्पनी के उपक्रमों से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा-बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को या किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी में कम्पनी द्वारा धारित किसी शेयर को, जो उसके कब्जे,

अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को देने में असफल रहेगा ; या

(ग) कम्पनी के उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

26. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ;

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

27. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या कंपनी के उपक्रमों के अभिरक्षक के या सरकारी कम्पनी या उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के, विरुद्ध न होगी ।

28. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा और धारा 29 और धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी शक्ति का कोई प्रत्यायोजन उपधारा (1) के अधीन किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, केन्द्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

29. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके अन्दर और वह रीति जिससे, धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन कोई सूचना आयुक्त को दी जाएगी ;

(ख) वह रीति और वह प्ररूप जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन अभिरक्षक धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप में लेखा बनाए रखेगा :

(ग) वह रीति जिससे धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि के धन की बाबत कार्रवाई की जाएगी ;

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के

पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

31. निरसन और व्यावृत्ति—(1) बर्ड एण्ड कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों और अन्य सम्पत्तियों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का 18) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

पहली अनुसूची

[धारा 2(छ) देखिए]

1.	विसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड	जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता-700001 में है ।
2.	बुर्राकुर कोल कम्पनी लिमिटेड	
3.	बर्डस ट्रेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट्स कम्पनी लिमिटेड	
4.	ईस्टर्न इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड	
5.	गरुड़ इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड	
6.	कर्णपुरा डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (फंडरों के शेयरों सहित)	
7.	किन्नीसन जूट मिल्स पनी लिमिटेड	
8.	कुमारधुबी फायरक्ले एण्ड सिलिका वर्क्स लिमिटेड	
9.	लारेंस इनवेस्टमेंट्स एण्ड प्रापर्टी कम्पनी लिमिटेड	
10.	ओण्डाल इनवेस्टमेंट्स कम्पनी लिमिटेड	
11.	उड़ीसा मिनरल्स डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	
12.	सेंद्रा इनवेस्टमेंट्स कम्पनी लिमिटेड	
13.	बर्डस एम्पलाईज कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	
14.	बैकर ग्रे एण्ड कम्पनी (1930) लिमिटेड	
15.	कर्णपुरा कोलियरीज लिमिटेड—अधिमानी शेयर, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 11, ब्रिटिश इण्डियन स्ट्रीट, कलकत्ता-700069 में है ।	
16.	केलशियम कार्बाइड एण्ड केमीकल्स लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 161/1, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-700007 में है (भागत: संदत्त) ।	
17.	होलमैन-क्लाईमेक्स (राक ड्रिल्स) लिमिटेड	जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय डालफिन कोर्ट, 7-ए मिडिलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 में है ।
18.	होलमैन-क्लाईमेक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड	
19.	पट्या टी कम्पनी लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 12, दिलकुशा स्ट्रीट, कलकत्ता-700017 में है ।	
20.	दि टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 95, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 में है ।	
21.	सौनकुंडा बैलिंग कम्पनी लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बंगलादेश में है ।	

दूसरी अनुसूची

(धाराएं 17, 18, 19 और 21 देखिए)

कम्पनी के दायित्वों के उन्मोचन के लिए पूर्विकता क्रम

प्रवर्ग I

(क) कम्पनी के कर्मचारियों की देय मजदूरियां, वेतन और अन्य शोध्य रकमें ;

(ख) कम्पनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, जीवन बीमा निगम प्रीमियम को किए जाने वाले अभिदायों के संबंध में बकाया और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन (उपदान को छोड़कर) कोई अन्य बकाया ।

प्रवर्ग II

निम्नलिखित द्वारा दिए गए प्रतिभूत उधारों की मूल रकम :—

(i) केन्द्रीय सरकार ;

(ii) राज्य सरकार ;

(iii) बैंक ;

(iv) लोक वित्तीय संस्थाएं ।

प्रवर्ग III

निम्नलिखित द्वारा दिए गए अप्रतिभूत उधारों की मूल रकम :—

(i) केन्द्रीय सरकार ;

(ii) राज्य सरकार ;

(iii) बैंक ;

(iv) लोक वित्तीय संस्थाएं ।

प्रवर्ग IV

(क) किन्हीं व्यापारिक या विनिर्माण संबंधी संक्रियाओं के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा प्रयुक्त कोई ऋण ।

(ख) माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए राज्य विद्युत बोर्डों या अन्य सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संस्थाओं को संदेय कोई शोध्य रकमें ;

(ग) उधारों और अग्रिमों पर ब्याज की बकाया ।

प्रवर्ग V

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें ।

(ख) कोई अन्य उधार या शोध्य रकमें ।

———